

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... श्री. रायच कलक्टर (SDO) मुकाम बायत

धमडाराम बनाम मूलच-6 कोटा

किस्म मुकदमा... रा. आवेदन 111, 128 नं. 80/22 सन् 2022
RLR Au-

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/3/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खेताराम जाकड</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR Au-</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>15/3/22</u> को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायत</p>
15/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थी गणों के नोटिस तामिल हुआ प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विभा गण विप्रार्थी गण जाकडु तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार कावाज लगाई गई किन्तु कावाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी गण स्वयं आउट नहीं कर के बोर्ड अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी गणों के विरुद्ध एड-तरफा डार्पवादी काल में लाई जाती है किन्तु वास्ते बडत पत्रावली दिनांक 30/03/2022 ही पेश हो।</p>	

सहायक कलक्टर (SDO) बायत


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

30/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी मांढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय
295
कमाक / वाद / 2022 /
प्रार्थी

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 /

295

प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 30/03/2022

विप्रार्थीगण

1. घमंडाराम पुत्र मंगनाराम,
जाति ~~जुना~~ निवासी बायतु भोपजी,
पटवार मण्डल नौसर,
तहसील बायतु (बाडमेर)


1. मूलचंद पुत्र ज्वाराराम वगैरा 04,
जाति सोनी, निवासी जूना सोमेसरा,
पटवार मण्डल नौसर,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 80/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - जूना सोमेसरा, पटवार हल्का - नौसर, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 125/29, 128/30 रकबा क्रमशः 2.8558, 2.0306 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करके हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक / वाद / 2022 /

296 to 300

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री घमंडाराम पुत्र मंगनाराम,
4. विप्रार्थी श्री मूलचंद पुत्र ज्वाराराम वगैरा 04,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 30/03/2022

सहायक कमिश्नर
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु